अनुदान संख्या 65 – खान मंत्रालय
GRANT No. 65 - MINISTRY OF MINES

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*10,00*	*8,33*	*-1,67*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*150*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1054,55,00			
			1301,55,00	1264,06,91	-37,48,09
पूरक	Supplementary	247,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				32,05,60
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		158,84,00	84,85,25	-73,98,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				73,74,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹3748.09 लाख) दिसंबर, 2017 और मार्च, 2018 में प्राप्त ₹24700.00 लाख के पूरक अनुदान का 15 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹3748.09 lakhs) constituted 15 percent of the supplementary grants of ₹24700.00 lakhs obtained in December, 2017 and March, 2018 and 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “3451”	Major Head “3451”				
सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Secretariat -Economic Services				
मू.	O.	3655.00	3255.31	3240.78	-14.53
पु.	R.	-399.69			
मुख्य शीर्ष “2552”	Major Head “2552”				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	2483.00	..	..	..
पु.	R.	-2483.00			
मुख्य शीर्ष “2853”	Major Head “2853”				
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries				
मू.	O.	99317.00	123694.09	123166.13	-527.96
पू.	S.	24700.00			
पु.	R.	-322.91			

(I) ₹2653.00 लाख का प्रावधान नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹2488.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) मुख्य शीर्ष “2552” –

(क) “भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण – निदेशन और प्रशासन – भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण” – ₹1883.00 लाख;

(I) Provision of ₹2653.00 lakhs remained wholly unutilised under nine heads; of these ₹2488.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head “2552” -

(a) “Geological Survey of India - Direction and Administration - Geological Survey of India Activities” - ₹1883.00 lakhs;

(ख) “भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण – खनिज अन्वेषण – भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यकलाप” – ₹110.00 लाख;

(ग) “भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण – अन्य व्यय – भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यकलाप” – ₹200.00 लाख; और

(घ) “खानों का विनियमन और विकास – खान ब्यूरो – भारतीय खान ब्यूरो कार्यकलाप” – ₹125.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा और बकाया राशि को अभ्यर्पित किया गया ।

(खा) मुख्य शीर्ष “2853” – ”खानों का विनियमन और विकास – जनजातीय क्षेत्र उप योजना – भारतीय खान ब्यूरो” – ₹170.00 लाख जनजातीय क्षेत्रों में कार्यकलाप न होने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष “2853” – “भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण – प्रशिक्षण – भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण” – ₹400.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹150.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹550.00 लाख कर दिया गया था। तथापि, ₹235.52 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन न होने के कारण 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सम्मेलन, 2020 की तैयारी कार्यकलापों के स्थगन के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2853” के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के समाने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:–

(का) “भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण – अन्य व्यय – भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण” – ₹5045.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1500.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹6545.00 लाख कर दिया गया था, जो, तथापि, कोर

(b) “Geological Survey of India -Mineral Exploration- Geological Survey of India Activities” - ₹110.00 lakhs;

(c) “Geological Survey of India -Other Expenditure - Geological Survey of India Activities” - ₹200.00 lakhs; and

(d) “Regulation and Development of Mines - Bureau of Mines - Indian Bureau of Mines Activities” - ₹125.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head “2853” - “Regulation and Development of Mines - Tribal Area Sub-Plan - Indian Bureau of Mines” - ₹170.00 lakhs - due to non-existence of activities in Tribal Areas.

(II) Under Major Head “2853” - “Geological Survey of India - Training - Geological Survey of India” - the original provision of ₹400.00 lakhs was augmented to ₹550.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹150.00 lakhs. However, there was a saving of ₹235.52 lakhs (including supplementary grant) - due to postponement of preparation activities of 36th International Geological Conference, 2020 owing to non- approval of financial sanction.

(III) Supplementary grant obtained under Major Head “2853” - remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) “Geological Survey of India - Other Expenditure - Geological Survey of India” - the original provision of ₹5045.00 lakhs was augmented to ₹6545.00 lakhs by obtaining supplementary grant

पुस्तकालय कार्य और रिहायशी क्वार्टरों के नवीकरण के विलंबित अनुमोदन के कारण, ₹119.02 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) "खानों का विनियमन और विकास – खनिज अन्वेषण – राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट निधि कार्यकलाप" – पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹10000.00 लाख की निधि मुहैया कराई गई थी जो, तथापि, भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण से कम दावे प्राप्त होने के कारण ₹2004.80 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रही।

(IV) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – खान मंत्रालय" – ₹414.22 लाख की बचत (₹3655.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, परियोजना प्रबंधन यूनिट सहायता तथा स्वस्छता कार्य योजना के लिए कम निधियों की आवश्यकता, कम विदेश यात्रा दावे प्राप्त होने तथा किफायत उपाय करने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2853" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंर्तगत बचतें हुईः–

(का) "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण" –

(क) "सर्वेक्षण और मानचित्रण – भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण" – ₹116.13 लाख की बचत (₹8200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हेलिकॉप्टर की ग्राउंडिंग के कारण हेलिबोर्न सर्वेक्षण आयोजित न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "खनिज अन्वेषण – भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण" – ₹567.38 लाख की बचत (₹5110.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ड्रिलिंग कार्यकलापों को देर से प्रारम्भ के जाने के कारण हुई।

(खा) "खानों का विनियमन और विकास" –

of ₹1500.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹119.02 lakhs - due to delayed approval of core library work and renovation of residential quarters.

(B) "Regulation and Development of Mines - Mineral Exploration - National Mineral Exploration Trust Fund Activities" - funds of ₹10000.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹2004.80 lakhs- due to receipt of less claims from Geological Survey of India.

(IV) Under Major Head "3451" - "Secretariat- Ministry of Mines" - saving of ₹414.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3655.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards Project Management Unit Support and Swachhta Action Plan, receipt of less foreign travel claims and austerity measures.

(V) Under Major Head "2853" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Geological Survey of India" -

(a) "Survey and Mapping - Geological Survey of India" - saving of ₹116.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8200.00 lakhs) was due to non-conduction of heliborne survey owing to grounding of helicopter.

(b) "Mineral Exploration -Geological Survey of India" - saving of ₹567.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5110.00 lakhs) was due to delay in commencement of drilling activities.

(B) "Regulation and Development of Mines"-

(क) "खनिज अन्वेषण – अन्य कार्यक्रम/निकाय" – ₹355.38 लाख की बचत (₹2749.00 लाख के प्रावधान की तुलना में) स्वायत्त निकायों को कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) "खान ब्यूरो – भारतीय खान ब्यूरो कार्यकलाप" – ₹174.30 लाख की बचत (₹4166.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय खान ब्यूरो के आवासीय एवं गैर आवासीय क्वार्टरों के कार्यों को देरी से अनुमोदन मिलने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2853" – "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण" – के अन्तर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई थी:–

(I) "निदेशन और प्रशासन" –

(का) "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण" – ₹1031.75 लाख का अधिक व्यय (₹3000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹62877.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यकलाप" – ₹1668.10 लाख का अधिक व्यय (₹50.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹4470.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेश मंत्रालय से विदेश दौरों पर अधिक नामे दावे प्राप्त होने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(II) "अनुसंधान और विकास – भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण" – ₹198.71 लाख का अधिक व्यय (₹670.00 लाख के

(a) "Mineral Exploration-Other Programmes/ Bodies" - saving of ₹355.38 lakhs(against the sanctioned provision of ₹2749.00 lakhs) was due to requirement of less funds by autonomous bodies.

(b) "Bureau of Mines - Indian Bureau of Mines Activities" - saving of ₹174.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4166.00 lakhs) was due to delayed approval of work of residential and non-residential quarters of Indian Bureau of Mines.

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2853" - "Geological Survey of India" - under the following heads:-

(I) "Direction and Administration" -

(A) "Geological Survey of India" - excess of ₹1031.75 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹62877.00 lakhs including supplementary grant of ₹3000.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) "Geological Survey of India Activities" - excess of ₹1668.10 lakhs(against the total sanctioned provision of ₹4470.00 lakhs including supplementary grant of ₹50.00 lakhs) was due to receipt of more debit claims from Ministry of External Affairs towards foreign tours and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) "Research and Development - Geological Survey of India" - excess of ₹198.71 lakhs (against

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रयोगशाला उपभोज्य सामग्री तथा वर्धित ड्रिलिंग कार्यकलापों के कारण हुआ।

the sanctioned provision of ₹670.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards laboratory research activities and laboratory consumables and increased drilling activities.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः—

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
मुख्य शीर्ष "4552" पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	548.00	..	..	..
पु.	R.	-548.00			
मुख्य शीर्ष "4853" अलौह खनन और धातु क्रमक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4853" Capital Outlay on Non-ferrous Mining and Metallurgical Industries				
मू.	O.	15336.00	8510.00	8485.25	-24.75
पु.	R.	-6826.00			

(I) ₹548.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552" – "खनिज अन्वेषण और विकास – अन्य व्यय" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:—

(I) Provision of ₹548.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under Major Head "4552" - "Mineral Exploration and Development-Other Expenditure" - under the following heads:-

(का) "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण" – ₹200.00 लाख – पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर इस्तेमाल के लिए निधियों का पुनर्विनियोजन कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(A) "Geological Survey of India" - ₹200.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) "भारतीय खान ब्यूरो कार्यकलाप" – ₹348.00 लाख – पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उपकरणों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष "4853" – "खनिज अन्वेषण और विकास – अन्य व्यय – भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यकलाप" के अंतर्गत ₹6844.57 लाख की बचत (₹15230.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वाहन की सुपुर्दगी में विलंब, विक्रेता द्वारा बैंक गारंटी प्रस्तुत न किए जाने कारण जियो टेक्नीकल वेसल की किस्त में चूक हो जाने का कारण हुई थी।

(B) "Indian Bureau of Mines Activities"- ₹348.00 lakhs- due to non-procurement of equipments for North Eastern Region States.

(II) Under Major Head "4853" - "Mineral Exploration and Development - Other Expenditure - Geological Survey of India Activities" - saving of ₹6844.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15230.00 lakhs) was due to delay in delivery of vehicle, slippage of Geo Technical Vessel instalment owing to non-furnishing of bank guarantee by the Vendor.